[2023] 2 एससीआर 682

उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका

प्रदीप कुमार

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

(आपराधिक अपील सं. 1304/2018)

16 मार्च, 2023

[न्यायाधीशगण, बी. आर. गवई तथा संजय करोल]

दंड संहिता, 1860-धारा 302,34,201-दो अभियुक्त व्यक्तियों (अपीलार्थी सहित) को विचारण न्यायालय द्वारा हत्या के अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया था- अभियोजन पक्ष का प्रकरण, तीन परिस्थितियों पर आधारित था (ए) अपीलार्थी की कथित न्यायेत्तर संस्वीकृति; (बी) अपीलार्थी और मृतक के बीच पूर्व शत्रुता; एवं (सी) अपीलार्थी से सामग्री की बरामदगी- उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी की दोषसिद्धि को बरकरार रखा और सह-अभियुक्त को दोषमुक्त किया-अपील किये जाने पर अभिनिर्धारित हुआ कि: अ०सा०-12 (मृतक के पुत्र) और अ०सा०-13 (सह-ग्रामीण) के परिसाक्ष्य ने उन परिस्थितियों को नकार दिया कि मृतक और आरोपी के बीच तनाव था, जो अपराध करने का उद्देश्य था - सामग्री की बरामदगी अर्थात चाबी और धन, अभियुक्त के न्यायेत्तर संस्वीकृति के अलावा कोई स्वतंत्र पुष्ट सामग्री नहीं है तथा वह भी रिकॉर्ड पर साबित नहीं है - इसके अलावा, अपीलार्थी का न्यायेत्तर संस्वीकृति कथन, साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27 द्वारा प्रभावित होने के अलावा, इसका समर्थन अ०सा०-1 और अ०सा०-7 द्वारा नहीं किया गया था, जो, जैसा कि स्पष्ट है, स्वयं एक संदिग्ध था, यदि गवाह स्वयं एक संदिग्ध था, तो उसके परिसाक्ष्य को विश्वसनीय और भरोसेमंद नहीं कहा जा सकता है -प्रमुख गवाह अ०सा०-19-अन्वेषण अधिकारी की गवाही को किसी भी विश्वास के योग्य नहीं पाया गया और इसलिए यह अविश्वसनीय है- अभियोजन पक्ष के अन्य गवाहों के परिसाक्ष्य

अविश्वसनीय पाये गये - न तो परिस्थितियों की श्रृंखला पूरी तरह से स्थापित की गई है और न ही अभियुक्त द्वारा अकेले अपराध कारित किये जाने का तथ्य संदेह से परे सिद्ध किया जा सका है। दोनों निम्न न्यायालयों द्वारा अपीलार्थी के अपराध का अनुमान साक्ष्य के अनुचित और अपूर्ण मूल्यांकन पर आधारित है जिसके परिणामस्वरूप न्याय का उपहास हुआ है -उच्च न्यायालय और विचारण न्यायालय के निर्णयों को अपास्त किया जाता है -अपीलार्थी दोषमुक्त किया जाता हैं -साक्ष्य अधिनियम, 1872- धारा 27।

अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया: 1. कम से कम इतना तो कहा ही जा सकता है कि आक्षेपित निर्णय अधूरा है। दोनों अधोन्यायालयों द्वारा अपीलार्थी-अभियुक्त के अपराध की उपधारणा, साक्ष्य के अनुचित और अपूर्ण मूल्यांकन पर आधारित है, जिसके परिणामस्वरूप इस न्यायालय के सुविचारित दृष्टिकोण से न्याय का उपहास हुआ है।[पैरा 10] [688-एफ-जी]

2. जब इस न्यायालय में मृतक के पुत्र अ०सा०-12 की गवाही हुई, तो उसने स्पष्ट रूप से कहा कि ".....बाद में पुलिस कर्मियों ने मुझे बताया कि आरोपियों ने मेरे पिता की हत्या कारित करने के बाद उन्हें फेंक दिया है..." अब यह पूरी तरह से उसके दादा (अ०सा०-10) की गवाही को झुठलाता है। इसी तरह, यह अ०सा०-13 का परिसाक्ष्य है जिसमें यह जुड़ा है कि ".....बाद में मुझे पता चला कि पीड़ित की हत्या कारित कर दी गई है। मैंने गाँव वालों से सुना..... "उल्लेखनीय रूप से, उसका यह बयान कि उसके पति (अ०सा०-7) ने उसे अपीलार्थी द्वारा मृतक की हत्या के बारे में सूचित नहीं किया था, यह उसके पिछले बयान में दर्ज नहीं किया गया था, जिसका उसे सामना कराया गया था।लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उसका बयान यह है कि उसका पति खुद एक संदिग्ध था और वह इसे सही मानती है, "..... कि पुलिस कर्मी मेरे पति को मृतक की हत्या के संबंध में जांच के लिए ले गए थे। पुलिस कर्मियों ने मेरे पति को एक दिन के लिए हिरासत में रखा था ..." यह उन परिस्थितियों में से एक को नकारता है कि मृतक और आरोपी के बीच तनाव था, जो अपराध कारित

करने का हेतुक था, यानी पक्षकारों के मध्य दुकान के उपयोग का मुद्दा था। [पैरा 19] [690-जी-एच; 691-ए-सी]

3. इस न्यायालय के समक्ष अगली परिस्थिति रिकॉर्ड पर, जो चाबी और धन की बरामदगी है, के संबंध में, अभियुक्त के न्यायेत्तर संस्वीकृति के अलावा रिकॉर्ड पर कोई स्वतंत्र संपुष्ट सामग्री सिद्ध नहीं हुई है । यहाँ तक कि, चाबियाँ, करेंसी नोट तथा रक्तरंजित कपड़े रासायनिक विश्लेषण के लिए नहीं भेजे गए थे। यहाँ तक कि, चाबियाँ, करेंसी नोट तथा रक्तरंजित कपड़े रासायनिक विश्लेषण के लिए भी नहीं भेजे गए थे। अपीलार्थी के कथित रक्तरंजित कपड़ों की एफ. एस. एल. रिपोर्ट की केवल एक अप्रदर्शित प्रति है जो किसी के द्वारा साबित नहीं की गई है। इसके अलावा कोई भी यह अभिसाक्ष्य देने के लिए आगे नहीं आया है कि आरोपी ने दुकान की चाबियाँ अपने पास रखी थीं । अन्यथा भी, यह अभियोजन पक्ष का मामला नहीं है कि दुकान आरोपी की थी । [पैरा 20] [691-सी-ई]

4. अपीलार्थी की न्यायेत्तर संस्वीकृति, वह जो साक्ष्य का आधार है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 27 द्वारा प्रभावित होने के अतिरिक्त अभि०सा०-1 और अभि०सा०-7 द्वारा समर्थित नहीं थी, जो, जैसा कि स्पष्ट है, स्वयं एक संदिग्ध था। उसने यह स्वीकार किया कि "...यह कहना सही है कि इंस्पेक्टर ने मुझे और कुछ ग्रामीणों को हिरासत में लिया था जहां शव पड़ा था..." और "...यह कहना सही है कि मैंने 4 बजे से पहले किसी अन्य व्यक्ति को आरोपी-अपीलार्थी द्वारा दिए गए बयान का खुलासा नहीं किया था..." हमने पहले ही देखा है कि उसकी पत्नी (अ०सा०-13) ने इस बयान का समर्थन किया है। अब, यदि यह गवाह स्वयं एक संदिग्ध था, तो उसके परिसाक्ष्य को संदेहरहित या असंदिग्ध नहीं कहा जा सकता है। इस गवाह को, इस न्यायालय के सुविचारित दृष्टिकोण में, विश्वसनीय और भरोसेमंद नहीं कहा जा सकता है। [पैरा 21] [691-ई-जी; 692-बी]

5. अभियोजन पक्ष के प्रमुख गवाह, जो कि अन्वेषण अधिकारी (अ०सा०-19) है, के साक्ष्य पर विचार करते हुए, यह न्यायालय उनकी गवाही को पूरी तरह से अयोग्य, अविश्वसनीय तथा गवाह को गैर-भरोसेमंद पाता है। हम ऐसा इन कारणों से कहते हैं कि उसने मृतक और आरोपी के बीच किसी भी पूर्व शत्रुता के संबंध में अ०सा०-10 या अ०सा०-7 का बयान दर्ज नहीं किया था। अपराध की उत्पत्ति

से संबंधित सबूत उसके द्वारा एकत्र नहीं किए गए थे। उसने इस तथ्य को भी नहीं बताया है कि किस वजह से उसने **3.10.2023** को अभियुक्त-अपीलार्थी को हिरासत में लिया था। उसके द्वारा उन साक्षियों का भी बयान नहीं लिया है जो इस न्यायालय के मत में वास्तविक घटना के संबंध में प्रकाश डाल सकते थे । यद्यपि वह स्वीकार करता है कि कुछ सह-ग्रामीणों के घर, अपराध स्थल से **30** से **70** मीटर की दूरी पर हैं। तथापि, उसने, उनमें से किसी से भी पूछताछ नहीं की है जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। महत्वपूर्ण यह है कि उसने यह स्वीकार किया है कि विवेचना में ऐसा कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं आया था जो अपराध के होने के समय तथा तरीके को स्पष्ट करता हो । उसने स्वीकार किया है कि उसने आरोपी से बरामद चाबियों के संबंध में कुछ दस्तावेज तैयार किए थे, किन्तु उसकी डायरी में ऐसा कोई तथ्य दर्ज नहीं है। वास्तव में, उसके द्वारा तैयार किए गए पंचनामे में भी ऐसा तथ्य दर्ज नहीं पाया गया है। अन्वेषण अधिकारी (अ०सा०-**19**) के बयान में सह-अभियुक्त के दोषी होने के तथ्य का कोई आधार नहीं है। वास्तव में, वह यह भी नहीं कहता कि उसने सह-अभियुक्त पर कोई अपराध करने का संदेह किया है। अन्वेषण अधिकारी (अ०सा०-**19**) के पास, अपीलार्थी को अपराध कारित करने के लिए गिरफ्तार करने का एकमात्र आधार उसकी न्यायेत्तर संस्वीकृति (प्रदर्श पी.**11**) है जो अस्वीकार्य होने के अलावा, किसी उपयोग की नहीं है क्योंकि इससे कोई नया तथ्य प्राप्त नहीं हुआ है-चाहे वह किराने की दुकान का स्थान हो; आरोपी और मृतक के बीच व्याप्त तनाव हो; डोडकी नाले के पास मृतक के शव की बरामदगी हो: इन सभी तथ्यों के बारे में पुलिस को पहले से पता था और जहां तक धन और की-चेन की बरामदगी का संबंध है, हम पहले ही इस मुद्दे को स्पष्ट कर चुके हैं। [पैरा **22**] [**692**-सी-एच; **693**-ए-बी]

6. वर्तमान प्रकरण में, वर्तमान परिस्थितियों को एक साथ लिया जाए तो, केवल एक ही परिकल्पना जो निर्णायक रूप से स्थापित नहीं होती है, वह अभियुक्त-अपीलार्थी का दोषी होना निर्णायक रूप से साबित नहीं होता है। निर्दोषिता का अनुमान अभियुक्त के पक्ष में तब तक रहता है जब तक कि उसका अपराध, उसके विरुद्ध सभी उचित संदेहों से परे साबित नहीं हो जाता है। [बाबू बनाम राज्य केरल, (**2010**) **9** एस. सी. सी **189**]। संदेह से परे प्रमाणित किये जाने के सिद्धांत, जो हमारी

विधि का सुस्थापित सिद्धांत है, को अनुचित रूप से विवेचन नहीं किया जाना चाहिए जैसा की दोनों न्यायालय द्वारा किया गया है। वर्तमान प्रकरण में, इस न्यायालय को लगता है कि न तो परिस्थितियों की श्रृंखला पूरी तरह से स्थापित हुई है और न ही अभियुक्त के द्वारा ही अपराध किये जाने का तथ्य संदेह से परे प्रमाणित किया गया है। **[पैरा 25, 26] [693-एफ-एच; 694-ए]**

> शिवाजी साहबराव बोबडे और एक अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य, **(1973) 2** एस. सी. सी. **793: [1974] 1** एस. सी. आर. **489;** हरि चरण कुर्मी बनाम बिहार राज्य, ए. आई. आर **1964** एस. सी. **1184: [1964]** एस. सी. आर. **623;**सुजीत बिस्वास बनाम असम राज्य, **(2013) 12** एस. सी. सी. **406: [2013] 3** एस. सी. आर. **830;** हनुमंत गोविंद नरगुंडकर बनाम मध्य प्रदेश राज्य, ए. आई. आर. **1952** एस. सी. **343: [1952]** एस. सी. आर. **1091;** राज्य बनाम महेंद्र सिंह दहिया, **(2011) 3** एस. सी. सी. **109: [2011] 1** एस. सी. आर. **1104;** सहदेवन बनाम तमिलनाडु राज्य, **(2012) 6** एस. सी. सी. **403: [2012] 4** एस. सी. आर. **366;** काली राम बनाम हि.प्र. राज्य, **(1973) 2** एस. सी. सी. **808: [1974] 1** एस. सी. सी. **722;** बाबू बनाम केरल राज्य, **(2010) 9** एस. सी. सी. **189: [2010] 9** एस. सी. आर. **1039;** शरद बिरधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य, **(1984) 4** एस. सी. सी. **116: [1985] 1** एस. सी. आर. **88;** रामफुपाला रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, **(1970) 3** एस. सी. सी. **474;** बालक राम बनाम उ.प्र. राज्य, **(1975) 3** एस. सी. सी. **219: [1975] 1** एस. सी. आर. **753;** भोगिनभाई हिरजिभाई बनाम गुजरात राज्य, **(1983) 3** एस. सी. सी. **217: [1983] 3** एस. सी. आर. **280**-संदर्भ लिया गया।

<u>निर्णय विधि सन्दर्भ</u>

[1974] 1 एससीआर **489**	का संदर्भ दिया गया	पैरा **6** को
[1964] एससीआर **623**	संदर्भित करता है	पैरा **7** को
[2013] 3 एससीआर **830**	संदर्भित करता है	पैरा **9** को
[1952] एस. सी. आर. **1091**	संदर्भित करता है	पैरा **9** को
[2011] 1 एससीआर **1104**	संदर्भित करता है	पैरा **9** को
[2012] 4 एससीआर **366**	संदर्भित करता है	पैरा **12** को

[1974] 1 एससीआर 722	**संदर्भित करता है**	**पैरा 24 को**
[2010] 9 एससीआर 1039	**संदर्भित करता है**	**पैरा 25 को**
[1985] 1 एससीआर 88	**संदर्भित करता है**	**पैरा 26 को**
[1975] 1 एससीआर 753	**संदर्भित करता है**	**पैरा 27 को**
[1983] 3 एससीआर 280	**संदर्भित करता है**	**पैरा 27 को**

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार : आपराधिक अपील संख्या 1304/2018

आपराधिक अपील संख्या 940/2004 में, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के निर्णय और आदेश दिनांक 21.07.2004 से उद्भूत।

अपीलार्थी के लिए-राहुल कौशिक, सुधीर कुलश्रेष्ठ, समीर कुलश्रेष्ठ, अधिवक्तागण ।

उत्तरदाता के लिए-गौतम नारायण, सुश्री अस्मिता सिंह, अधिवक्तागण। न्यायालय का निर्णय दिया गया, द्वारा:-

न्यायाधीश संजय करोल,

1. 01.10.2003 को, धौरपुर जिले के पुलिस स्टेशन की क्षेत्रीय सीमा के भीतर आने वाले गांव चितरपुर के निवासी उमेश चौधरी की कथित तौर पर आरोपी प्रदीप कुमार (उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के समक्ष आ.अ. संख्या 940/2004 में अपीलार्थी क्र. 2) तथा भैंसा उर्फ़ नंदलाल (उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के समक्ष उसी अपील में अपीलार्थी क्र. 1) के द्वारा हत्या कर दी गई जिसके संबंध में थाना धौरपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श-पी-6) दर्ज की गई थी।

2. 02.10.2003 को, अन्वेषण अधिकारी, आई. तिर्की (पीडब्लू-19) ने जाँच शुरू की और घटना स्थल की जाँच करने के बाद शव को पोस्टमॉर्टम विश्लेषण के लिए भेज दिया जो डॉ. कमलेश कुमार (पीडब्लू-14) द्वारा उनकी रिपोर्ट (प्रदर्श पी-10) से किया गया था। जांच से पता चला कि अपराध, शत्रुता के कारण कारित किया गया था जो अपीलकर्ता, मृतक के विरुद्ध पाल रहा था। चितरपुर गाँव में मृतक के कब्जे में दुकान का उपयोग करने की अपीलार्थी की इच्छा, इसका हेतुक थी।

3. विचारण न्यायालय ने रामकृपाल सोनी (पीडब्लू-1) और गोपाल यादव (पीडब्लू-7) की उपस्थिति में आरोपी प्रदीप कुमार के न्यायेत्तर संस्वीकृति (प्रदर्श पी-11), मृतक के पिता गजाधर चौधरी (पीडब्लू-10), सह-ग्रामीण सिरोध (पीडब्लू-6), राधिका (पीडब्लू-13)-पीडब्लू-7 की पत्नी के बयानों के आधार पर, साथ ही पुलिस द्वारा अपीलार्थी के कब्जे से मृतक के दुकान की चाबी तथा ₹ 300/- के करेंसी नोट की बरमदगी के आधार पर, सभी पक्षों के बीच पूर्व शत्रुता/"तनाव" के तथ्य को स्थापित किया। न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को भा०द०सं० की धारा 302/34 तथा 201/34 के तहत दंडनीय अपराधों के संबंध में दोषसिद्ध ठहराया और उन्हें धारा 302/34 के तहत अपराध के संबंध में ₹ 500/- के जुर्माने सहित आजीवन कारावास की सजा सुनाई और साथ ही भा०द०सं० की धारा 201 के तहत दंडनीय अपराध के संबंध में ₹ 500/- के जुर्माने सहित सात वर्ष के कारावास से दण्डादिष्ट किया।

4. विचारण न्यायालय ने पीडब्लू - 1 और पीडब्लू - 7 दोनों के परिसाक्ष्य को विश्वसनीय पाया यद्यपि पीडब्लू - 1 ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है और अभियोजन पक्ष ने आरोपी प्रदीप कुमार के द्वारा अन्वेषण अधिकारी (पीडब्लू - 19) के सामने अपना अपराध स्वीकार किया जाना स्थापित किया है। विद्वान विचारण न्यायालय ने यह भी पाया कि मेमोरण्डम बयान के परिणामस्वरूप जब्त की गई वस्तुओं की बरामदगी, अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित मामले के समर्थन में घटनाओं की एक श्रृंखला के रूप में एक अतिरिक्त कड़ी है।

5. हालांकि दोनों अभियुक्तों द्वारा दायर अपील में, उच्च न्यायालय ने सभी अपराधों के संबंध में अभियुक्त प्रदीप कुमार की दोषसिद्धि और उसके तहत सजा को बरकरार रखा, लेकिन आरोपी भैंसा उर्फ नंदलाल को सभी मामलों में दोषमुक्त कर दिया।

6. इसलिए, अपीलार्थी-अभियुक्त प्रदीप कुमार द्वारा दायर वर्तमान अपील दायर की गई है । महत्वपूर्ण रूप से, कोई भी अधोन्यायालय इस निष्कर्ष पर वापस नहीं आया है कि अभियुक्त का अपराध अभियोजन पक्ष द्वारा उचित संदेह से परे साबित हुआ है। संदेह, चाहे वह कितना भी गंभीर या संभावित हो, अभियुक्त के अपराध को उचित संदेह से परे स्थापित करने में साक्ष्य का स्थान नहीं ले सकता है,

चाहे वह परिस्थितिजन्य हो या प्रत्यक्ष प्रकृति का हो, जिसके दायित्व को पहली बार में अभियोजन पक्ष द्वारा निर्वहन किया जाना है। "हो सकता है" और "होना चाहिए" के बीच की दूरी काफी बड़ी है और यह अस्पष्ट अनुमानों को ठोस निष्कर्षों से विभाजित करती है। [शिवाजी साहबराव बोबडे और एक अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1973) 2 एस. सी. सी. 793।]

7. उच्च न्यायालय ने हरि चरण कुर्मी बनाम बिहार राज्य{ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 1184} में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कानून के सिद्धांतों पर भरोसा करते हुए, इस आशय से भैंसा उर्फ़ नन्दलाल को दोषमुक्त किया है कि सह-अभियुक्त की संस्वीकृति अभियोगात्मक प्रकृति की होने से, इसका उपयोग अभियुक्त के विरुद्ध नहीं किया जा सकता है।

8. हालांकि, जहां तक आरोपी प्रदीप कुमार का संबंध है, न्यायालय ने (पीडब्लू-1) और (पीडब्लू-7) के परिसाक्ष्य को पूर्ण रूप से विश्वसनीय पाया है और पाया है कि गवाह "स्वतंत्र और अपक्षपाती" होने के कारण, आरोपी को "गलत तरीके से फंसाने" के लिए साक्ष्य निर्माण नहीं करेंगे। इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने पाया कि बचाव पक्ष यह स्पष्ट करने में सक्षम नहीं था कि उक्त गवाहों के समक्ष प्रदीप कुमार (अपीलार्थी सं. 2) द्वारा की गई न्यायेत्तर संस्वीकृति "अनैच्छिक" थी या "किसी भी जबरदस्ती, प्रलोभन," "वादा" या "सहायता" के कारण की गई थी। अधोन्यायालय ने यह भी माना कि न्यायेत्तर संस्वीकृति के मुद्दे पर पीडब्लू-1 और पीडब्लू-7 की गवाही पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

9. अभियुक्त को संभाव्यता की प्रधानता के सिद्धांतों पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। यह इस न्यायालय का कर्तव्य है कि वह हर कीमत पर न्याय की विफलता से बचना सुनिश्चित करे और अभियुक्त को संदेह का लाभ, यदि कोई हो, दिया जाए। [सुजीत विश्वास बनाम असम राज्य, (2013) 12 एस. सी. सी. 406, हनुमंत गोविंद नरगुंडकर बनाम म.प्र. राज्य। (ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 343) तथा राज्य बनाम महेंद्र सिंह दहिया, (2011) 3 एस. सी. सी. 109]।

10. कम से कम इतना तो कहा ही जा सकता है कि आक्षेपित निर्णय अस्थिर है। दोनों न्यायालयों द्वारा अभियुक्त प्रदीप कुमार के अपराध का अनुमान साक्ष्य के अनुचित और अपूर्ण मूल्यांकन पर आधारित है, जिसके परिणामस्वरूप इस न्यायालय के सुविचारित राय में, न्याय का उपहास हुआ है।

11. अभियोजन पक्ष का मामला, तीन परिस्थितियों पर आधारित है (ए) पीडब्लू-1 और पीडब्लू-7 के समक्ष आरोपी प्रदीप कुमार का कथित इकबालिया बयान; (बी) प्रदीप कुमार और मृतक के बीच पूर्व शत्रुता/"तनाव"; तथा (सी) मृतक की दुकान की चाबियों तथा अभियुक्त की निशानदेही पर ₹ 300/- के करेंसी नोटों की बरामदगी।

12. चूँकि दोनों अधोन्यायालयों ने अपीलार्थी द्वारा किए गए न्यायेत्तर संस्वीकृति को सर्वोपरि महत्व और निर्भरता दी है, इसलिए सहदेवन बनाम तमिलनाडु राज्य{(2012) 6 एससीसी 403} के प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित निम्नलिखित सिद्धांतों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है:

"16. .... ..

(i) न्यायेत्तर संस्वीकृति अपने आप में एक कमजोर साक्ष्य है। न्यायालय द्वारा इसकी अधिक सावधानी एवं सतर्कता के साथ जांच की जानी चाहिए।

(ii) यह स्वेच्छा से किया जाना चाहिए और सत्यपूर्ण होना चाहिए।

(iii) इसे विश्वास को प्रेरित करना चाहिए।

(iv) एक न्यायेत्तर संस्वीकृति अधिक विश्वसनीयता और साक्ष्य मूल्य प्राप्त करती है यदि यह ठोस परिस्थितियों की एक श्रृंखला द्वारा समर्थित है और अन्य अभियोजन साक्ष्य द्वारा इसकी संपुष्टि की जाती है।

(v) एक न्यायेत्तर संस्वीकृति को दोषसिद्धि का आधार बनाने के लिए, इसे किसी भी तात्विक विसंगतियों और अंतर्निहित असंभवताओं से ग्रस्त नहीं होना चाहिए।

(vi) इस तरह के कथन को अनिवार्य रूप से किसी भी अन्य तथ्य की तरह तथा विधि के अनुसार साबित करना होगा। "

13. उपरोक्त प्रत्येक परिस्थिति पर विचार करने से पहले, हमें कुछ निर्विवाद तथ्यों को रिकॉर्ड पर जरूर रखना चाहिए। वे हैं- (ए) मृतक उमेश चौधरी पिता गजाधर चौधरी की मानवघाती हत्या, (बी) मृतक की पहचान, (सी) गांव चितरपुर के डोडकी नाले से मृतक के शव की बरामदगी, (डी) पीडब्लू-14 द्वारा किए गए शव का पोस्टमार्टम जिसमें मृतक की मृत्यु गला घोटने के कारण श्वाश अवरुद्ध से होने की

पुष्टि हुई है तथा (ई) मृत्यु का कारण, प्रकृति में मानवघाती होना। पूर्व-शव परीक्षण विश्लेषण एक कठोर और कुंद वस्तु के कारण मृतक की गर्दन के सामने वाले हिस्से में मौजूद कई खरोंच को दर्शाता है। हाइड हड्डी का एक फ्रैक्चर था, दोनों फेफड़ों और श्वासनली के छल्लों में संकुलन था।

14. आगे बढ़ते हुए, अभियोजन पक्ष के गवाहों की साक्ष्य की विवेचना करते हुए हम पाते हैं कि यह मृतक की पत्नी-मनोरमा देवी (पीडब्लू-11) ने यह बयान दिया कि 1.10.2003 को उसके पति के रात में घर नहीं लौटने पर, उसने उसके बड़े बेटे विनय कुमार (पीडब्लू-12) को दुकान पर जाने और पूछताछ करने के लिए कहा। जल्द ही, वह वापस आया और बताया कि उसके पिता का शव चोटों के निशान के सहित डोडकी नाला में सड़क के किनारे पड़ा हुआ था। संदेह के आधार पर, मृतक के पिता गजाधर चौधरी (पीडब्लू-10) ने पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी-6) दिनांकित 2.10.2003 संख्यांक एफआईआर क्र. 126/03, दर्ज कराई।

15. उल्लेखनीय है कि इस समय न तो पीडब्लू-11 और न ही पीडब्लू-12 को किसी व्यक्ति पर अपराध करने का संदेह था।

16. गजाधर चौधरी (पीडब्लू-10) का कहना है कि उसने ही मृतक की मृत्यु के बारे में पूछताछ की और जैसा कि दुकान के मालिक सिरोध (पीडब्लू-6) ने उसे बताया, मृतक को अंतिम बार उसने रात करीब 8 बजे दुकान बंद करते देखा था। यह उल्लेखनीय है कि मृतक को आखिरी बार देखे जाने के समय तथा अपराध के समय के बीच एक महत्वपूर्ण समय अंतराल है। साथ ही उसे आरोपी के साथ नहीं देखा गया था।अपने परिसाक्ष्य में वह कहता है कि आरोपी भैंसा और प्रदीप कुमार ने उमेश चौधरी की हत्या कर दी, लेकिन यह तथ्य "उसके संदेह" पर आधारित है क्योंकि आरोपी ने दुकान के संबंध में "सश्रय शत्रुता" रखी थी। ख़ैर, यह सब कुछ है और बिना किसी विस्तार के।

17. महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सीमित तथ्य का भी शिकायत में खुलासा नहीं किया गया है। इसके अलावा हम पाते हैं कि उनकी गवाही में तात्विक सुधार है। इसके अलावा, हम इस गवाह को विश्वसनीय या उसके परिसाक्ष्य को विश्वास के योग्य नहीं पाते हैं। वह किसी भी ग्रामीण से घटना के कारण के बारे में पूछताछ करने में विफल रहे। वह प्रत्यक्ष गवाह नहीं है। यह वह गवाह भी नहीं है जिसने

आखरी बार अपीलार्थी को मृतक के साथ देखा था या अपीलार्थी को मृतक की दुकान या घटना के स्थान की ओर जाते हुए देखा था, दोनों दो अलग-अलग स्थान हैं। हालांकि, महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके बयान को असत्य बताते हुए, उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि "मृतक और आरोपी के बीच घातक घटना से पहले कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ" और उन्होंने "कभी भी किसी भी झगड़े के संबंध में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। "

18. इस बिंदु पर, हम सिरोध (पीडब्लू-6) के बयान पर भी ध्यान दे सकते हैं, जिसने किसी भी स्थिति में न्यायालय में अभियोजन का समर्थन नहीं किया है।

19. जब हम मृतक के पुत्र विनय कुमार (पीडब्लू-12) के बयान पर आते हैं, तो वह स्पष्ट रूप से कहता है कि ".....बाद में पुलिस कर्मियों ने मुझे बताया कि आरोपियों ने मेरे पिता की हत्या कारित करने के बाद उन्हें फेंक दिया है..." अब यह पूरी तरह से उसके दादा गजाधर चौधरी (पीडब्लू-10) के परिसाक्ष्य को झुठलाता है। समान आशय के लिए, यह राधिका (पीडब्लू-13) की गवाही है जो केवल यह कहती है कि ".....बाद में मुझे पता चला कि उमेश की हत्या कर दी गई है। मैंने गाँव वालों से सुना..... "। उल्लेखनीय है कि उसके पिछले दर्ज बयान जिससे उसका सामना कराया गया, में यह तथ्य नहीं था कि उसके पति (पीडब्लू-7) ने उसे अपीलार्थी द्वारा मृतक की हत्या के बारे में सूचित नहीं किया था। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उसका बयान यह है कि उसका पति खुद एक संदिग्ध था और वह इसे सही मानती है, "..... कि पुलिस कर्मी मेरे पति को मृतक की हत्या के संबंध में जांच के लिए ले गए थे। पुलिस कर्मियों ने मेरे पति को एक दिन के लिए हिरासत में रखा था ..." यह उन परिस्थितियों में से एक को नकारता है कि मृतक और आरोपी के बीच तनाव था, जो अपराध करने का हेतुक था, अर्थात पक्षकारों के मध्य दुकान के उपयोग का मुद्दा था।

20. हम अगली परिस्थिति के संबंध में विचार करते हैं, जो चाबी और धन की बरामदगी है, इस संबंध में अभियुक्त के अप्रमाणित इकबालिया बयान, के अलावा कोई स्वतंत्र संपुष्ट सामग्री नहीं है। अन्यथा भी, चाबियाँ, करेंसी नोट और खून से सने कपड़े रासायनिक विश्लेषण के लिए नहीं भेजे गए थे। अपीलार्थी के कथित खून से सने कपड़ों की एफ. एस. एल. रिपोर्ट की केवल एक अप्रदर्शित प्रति है जो

किसी के द्वारा साबित नहीं की गई है। इसके अलावा कोई भी यह गवाही देने के लिए आगे नहीं आया है कि आरोपी ने दुकान की चाबियाँ अपने पास रखी थीं, क्योंकि आखिरकार, यह अभियोजन पक्ष का मामला नहीं है कि दुकान आरोपी की थी।

21. अपीलार्थी की न्यायेत्तर संस्वीकृति जो साक्ष्य का आधार है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27 द्वारा प्रभावित होने के अतिरिक्त, रामकृपाल सोनी (पीडब्लू-1) और गोपाल यादव (पीडब्लू-7) द्वारा समर्थित नहीं है, जो इसे संदेहजनक बनाता है। वह इसे स्वीकार करता है कि "...यह कहना सही है कि इंस्पेक्टर ने मुझे और कुछ ग्रामीणों को हिरासत में लिया था जहां शव पड़ा था..." और "...यह कहना सही है कि मैंने 4 बजे से पहले आरोपी प्रदीप द्वारा दिए गए बयान का खुलासा किसी अन्य व्यक्ति को नहीं किया था..." हमने पहले ही देखा है कि उनकी पत्नी राधिका (पीडब्लू-13) ने इस बयान का समर्थन किया है। अब, यदि यह गवाह स्वयं एक संदिग्ध था, तो उसकी गवाही को संदेहरहित नहीं कहा जा सकता है। इसके अलावा, पीडब्लू-7 के बयान से पता चलता है कि गवाह ने सच्चाई से गवाही नहीं दी है और अभियोजन पक्ष ने एक और सिद्धांत पेश किया है जैसा कि उसके अनुसार आरोपी ने घटना के तुरंत बाद उसके साथ अपराध स्वीकार कर लिया था। यह पहली और दूसरी अक्टूबर, 2003 की दरम्यानी रात का समय था। लेकिन फिर, वह इस तरह के तथ्य को किसी को नहीं बताता है। हम अभियोजन पक्ष को याद दिला सकते हैं कि वह एक सह-ग्रामीण है। उसका बयान भी गलत प्रतीत होता है क्योंकि वह स्वीकार करता हैं कि घटना के स्थान से आवाजें और शोर सुनाई दे रहे थे और उन्होंने उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन कोई आवाज नहीं सुनी थी। वह स्वीकार करता है कि अपराध स्थल के समीप रामसनेही सहित अन्य व्यक्तियों के घर हैं। उन्होंने अपने द्वारा नामित सभी लोगों सहित किसी भी सह-ग्रामीण से सच्चाई का पता लगाने के लिए पूछताछ करने की जहमत नहीं उठाई। इस गवाह को, हमारे विचार में, विश्वसनीय और भरोसेमंद नहीं कहा जा सकता है और यह हम इस कारण से कहते हैं कि उसके बयान के अनुसार, उसे अगली सुबह 7.00-8.00 बजे मृतक की मृत्यु की जानकारी मिली और फिर भी वह अपराध स्थल पर तब तक नहीं गया जब तक कि पुलिस नहीं पहुंची, जो कि सुबह 10.00 बजे आई थी और काफी समय बाद, उसका बयान लगभग 4.00 बजे दर्ज किया गया। मृतक के परिवार

के किसी भी सदस्य, पड़ोसियों या पुलिस को सूचित नहीं करने या उनसे नहीं मिलने के बारे में उसकी खामोशी स्पष्ट नहीं है।

22. अभियोजन पक्ष के जांच अधिकारी, आई. तिर्की (पीडब्लू-19) की गवाही को हम किसी भी विश्वास के लिए पूरी तरह से अयोग्य अविश्वसनीय तथा गवाह को गैर-भरोसेमंद पाते हैं। हम ऐसा इन कारणों से कहते हैं कि उन्होंने मृतक और आरोपी के बीच किसी भी पूर्व शत्रुता के संबंध में गजाधर चौधरी (पीडब्लू-10) या गोपाल यादव (पीडब्लू-7) का बयान दर्ज नहीं किया। अपराध की उत्पत्ति से संबंधित साक्ष्य उनके द्वारा एकत्र नहीं किए गए थे। उन्होंने यह भी नहीं बताया कि किस वजह से उन्होंने आरोपी प्रदीप कुमार को 3.10.2023 को हिरासत में लिया। हालाँकि, उन्होंने उन गवाहों से पूछताछ नहीं की, जिन्होंने हमारे मत में, शायद घटना की वास्तविकता के संबंध में कुछ प्रकाश डाला होता। वह स्वीकार करता है कि रामसेवक, गोपाल और रश्रियार के घर अपराध स्थल से 30 से 70 मीटर की दूरी पर हैं। फिर भी, उन्होंने उनमें से किसी का भी परीक्षण नहीं किया है जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। महत्वपूर्ण रूप से, वे स्वीकार करते है कि "जांच पूर्ण होने तक ऐसा कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं आया था" जो अपराध के समय और तरीके का संकेत देता है। वे स्वीकार करते है कि उन्होंने आरोपी से बरामद चाबियों के संबंध में कुछ दस्तावेज तैयार किए थे, परंतु उनकी डायरी में ऐसा कोई तथ्य दर्ज नहीं है। वास्तव में, उनके द्वारा तैयार किए गए पंचनामे में ऐसा तथ्य दर्ज नहीं पाया गया है। अन्वेषण अधिकारी (पीडब्लू-19) के बयान में सह-आरोपी भैंसा के अपराध तक पहुंचने का आधार नहीं है। वास्तव में, वे यह भी नहीं कहते कि उन्हें भैंसा पर कोई अपराध करने का संदेह था। अन्वेषण अधिकारी (पीडब्लू-19) के लिए अपीलार्थी को अपराध करने के लिए गिरफ्तार करने का एकमात्र आधार उसकी न्यायेतर संस्वीकृति (प्रदर्श पी.11) है जो हमारे विचार में, अस्वीकार्य होने के अलावा, किसी काम की नहीं है क्योंकि इससे कोई नया तथ्य सामने नहीं आया है - चाहे वह किराने की दुकान का स्थान हो; अभियुक्त और मृतक के बीच व्याप्त तनाव हो; डोड़की नाले के पास से मृतक के शव की बरामदगी हो: इन सभी तथ्यों के बारे में पुलिस को पहले से पता था और जहां तक धन की बरामदगी और की-चेन का संबंध है, हम पहले ही इस मुद्दे पर चर्चा कर चुके हैं।

23. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के अलावा, जांच अधिकारी (पीडब्लू-19) ने यह नहीं बताया कि उसने अपराध स्थल पर क्या जांच की। अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि केवल इसी व्यक्ति ने जांच की और वह किसी अन्य अपराध की जाँच में शामिल नहीं था या उसे अन्य आवश्यक कार्यों में भाग लेना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप इसमें देरी हुई। प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श P-6) के अवलोकन से पता चलता है कि गजाधर चौधरी (पीडब्लू-10) ने अपराध में संदिग्ध के रूप में आरोपी प्रदीप कुमार के नाम का खुलासा किया है। पर ऐसी रिपोर्ट समय पर दर्ज की गई या नहीं, इस पर संदेह है। इसके अलावा, अगर जांच अधिकारी (पीडब्लू-19) खुद संदिग्ध के बारे में जानते थे तो उसे तुरंत हिरासत में लेने या उससे पूछताछ करने से क्या चीज़ रोक रही थी। जबकि, रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि अन्य व्यक्तियों को संदिग्धों के रूप में हिरासत में लिया गया था। की गई जाँच पूरी तरह से संदिग्ध है और लापरवाही से की गई है। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष के गवाहों, विशेष रूप से (पीडब्लू-19), (पीडब्लू-10) और (पीडब्लू-7) ने सत्यपूर्णता से गवाही दी है।

24. यह बिंदु महत्वपूर्ण है कि आपराधिक न्याय के प्रशासन में मुख्य सिद्धांत यह है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामलों में जहां दो विचार संभव हैं, जिनमें एक अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करता है और दूसरा उसकी निर्दोषता की ओर, तो जो अभियुक्त के लिए अनुकूल है, उसे अपनाया जाना चाहिए। [काली राम बनाम हि.प्र. राज्य, (1973) 2 एस. सी. सी. 808]

25. वर्तमान प्रकरण में, हमारे सामने मौजूद परिस्थितियों को देखने पर केवल एक परिकल्पना स्थापित नहीं होती है की आरोपी प्रदीप कुमार द्वारा ही अपराध किया गया है। अभियुक्त के पक्ष में निर्दोषिता की उपधारणा तब तक रहती है जब तक कि उसका अपराध उसके विरुद्ध सभी उचित संदेहों से परे साबित नहीं हो जाता है। [बाबू बनाम केरल राज्य, (2010) 9 एस. सी. सी 189]। संदेह से परे प्रमाणित किये जाने का सिद्धांत जो हमारी विधि द्वारा सुस्थापित है की अनुचित विवेचना नहीं की जानी चाहिए जैसा कि अधोन्यायालयों द्वारा किया गया था।

26. वर्तमान प्रकरण में, हम पाते हैं कि न तो परिस्थितियों की श्रृंखला पूरी तरह से स्थापित हुई है, न ही केवल अभियुक्त का अपराध, संदेह से परे साबित किया जा सका है। इस न्यायालय ने शरद

बिरधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य, {(1984) 4 एस. सी. सी. 116} के ऐतिहासिक प्रकरण में परिस्थितिजन्य साक्ष्य के इर्द-गिर्द घूमने वाले एक प्रकरण में आवश्यक शर्तों के बारे में कहा है जिन्हें अभियुक्त को दोषी ठहराए जाने से पहले पूरा किया जाना चाहिएः

"153. इस निर्णय के गहन विश्लेषण से पता चलता है कि किसी अभियुक्त के विरुद्ध प्रकरण को पूरी तरह से स्थापित कहा जाने से पहले निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाना चाहिएः

(1) जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए।

यहाँ यह विचारणीय है कि इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि संबंधित परिस्थितियाँ स्थापित आवश्यक रूप से होनी चाहिए और न कि संभावित रूप से। जैसा कि इस न्यायालय ने शिवाजी साहबराव बोबडे बनाम महाराष्ट्र राज्य [(1973) 2 एस. सी. सी. 793:1973 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1033:1973 सी. आर. एल. एल. जे. 1783] में कहा था, 'आवश्यक रूप से साबित' तथा 'संभावित रूप से साबित' के बीच केवल एक व्याकरणिक ही नहीं बल्कि एक विधिक अंतर भी है: [एससीसी पैरा 19, पृ.807 : एससीसी (सीआरआई) पृ 1047]

"निश्चित रूप से, यह एक प्राथमिक सिद्धांत है कि अभियुक्त को न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए जाने से पहले उसे दोषी होना ही चाहिए और न कि वह केवल दोषी हो सकता है तथा 'हो सकता है' और 'होना चाहिए' के बीच की मानसिक दूरी लंबी है और कुछ निष्कर्षों से अस्पष्ट अनुमानों को विभाजित करती है।"

(2) इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात वे किसी अन्य परिकल्पना पर स्पष्टीकरण योग्य नहीं होने चाहिए सिवाय इसके कि अभियुक्त दोषी है,

(3) परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए,

(4) उन्हें साबित की जाने वाली परिकल्पना को छोड़कर हर स भव परिकल्पना को अपवर्जित करना चाहिए, और

(5) साक्ष्य की एक ऐसी श्रृंखला होनी चाहिए जो इतनी पूर्ण हो कि अभियुक्त की निर्दोषिता के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न छोड़े और यह प्रमाणित होना चाहिए कि सभी मानवीय संभावनाओं में कार्य अभियुक्त द्वारा किया गया होगा।"

27. आम तौर पर हम नीचे दिए गए न्यायालयों के तथ्यों के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। हम केवल असाधारण मामलों में कदम उठाते हैं या जहां घोर त्रुटियां की जाती हैं, कठोर परिस्थितियों और आपराधिक न्यायशास्त्र के अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांतों की अनदेखी करने पर न्याय की विफलता होती है। इसलिए रामफुपाला रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य}(1970) 3 एस. सी. सी. 474}, बालक राम बनाम उ.प्र. राज्य {(1975) 3 एस. सी. सी. 219} तथा भोगिनभाई हिरजिभाई बनाम गुजरात राज्य {(1983) 3 एस. सी. सी. 217} में प्रतिपादित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए इस तरह के निष्कर्षों को सही करना हमारा परम कर्तव्य बन जाता है।

28. निष्कर्ष निकालने के लिए, हम कहते हैं कि अधोन्यायालयों ने अपीलार्थी को भा०द०सं० की धारा 302/34 सहपठित धारा 201/34 के तहत अपराध करने का दोषी मानने के निष्कर्ष में गलती की। इसलिए हम विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा दिनांकित 8.08.2004 के निर्णय में अपराध और सजा के निष्कर्षों को जिसे कि परवर्ती क्रम में उच्च न्यायालय द्वारा भैंसा @नंदलाल और अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य अनुशीर्षित आ.अ.क्र. 940/2004 में उसके निर्णय दिनांक 21.07.2017 द्वारा पुष्टि की गई है, को अपास्त करते हैं।

29. अपील को स्वीकार किया जाता है और अपीलार्थी को उसके विरुद्ध लगाये गए सभी आरोपों से दोषमुक्त किया है।

यदि किसी अन्य प्रकरण में उसकी आवश्यकता न हो तो, हम अपीलार्थी प्रदीप कुमार को रिहा करने का निर्देश देते हैं ।

अपील स्वीकृत।

अंकित ज्ञान

(सहायकः आरश चौधरी, एलसीआरए)

---00---

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।